

म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स जेल रोड, किसान भवन भोपाल

email

क/बोर्ड/योजना/गै.त./ह.तु./16/17-18/254 भोपाल, दिनांक 30/05/2017
प्रति,


अपर संचालक/संयुक्त संचालक/उप संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय-भोपाल, इन्दौर उज्जैन, ग्वालियर, सागर, जबलपुर, एवं
रीवा.

विषय :- मुख्यमंत्री हम्माल एवं तुलावटी सहायता योजना 2008 (संशोधित वर्ष 2014)
अंतर्गत विवाह सहायता के संबंध में।

विषयांतर्गत कृषि उपज मण्डी समितियों के अनुज्ञप्तिधारी हम्माल एवं तुलावटियों की पुत्रियों के विवाह हेतु "मुख्यमंत्री मण्डी हम्माल एवं तुलावटी सहायता योजना (संशोधित वर्ष 2014)" कार्यालयीन आदेश क्रमांक 3170 दि. 15.09.2014 में विवाह सहायता को मुख्यमंत्री कन्यादान योजना/मुख्यमंत्री निकाह योजना में समेकित किया गया है। अनुज्ञप्तिधारी हम्माल एवं तुलावटियों की पुत्रियों का विवाह मुख्यमंत्री कन्यादान योजना/मुख्यमंत्री निकाह योजना अंतर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सम्पन्न कराये जाने पर सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण म०प्र० के पत्र क्रमांक 109 दिनांक 28.01.2016 अनुसार कन्या को राशि रूपये 22000/- की सहायता एवं राशि रूपये 3,000/- विवाह कार्यक्रम के आयोजन हेतु व्यय की प्रतिपूर्ति का प्रावधान है।

अतः योजनांतर्गत विवाह सहायता के आगामी प्रकरणों में योजना के नियम/प्रावधान अनुसार ही कार्यवाही करें।

प्रबंध संचालक द्वारा अनुमोदित।


अपर संचालक(योजना)
म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल